	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	आश्विन 22, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 14, 2020 *Asvina 22, Wednesday, Saka 1942–October 14, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

(डीएमआईसी)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 12, 2020

संख्या प.सं.15(9)डीएमआईसी/विविध/SIR Act/2019:-राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा पाली जिले की रोहट तहसील के निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन (Special Investment Region) घोषित करती है तथा उक्त ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को उसका भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है जिसे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) के नाम से जाना जाएगा, अर्थात्:-

तहसील रोहट के राजस्व ग्राम

1. डूंगरपुर
2. सिणगारी
3. ढूंढली
4. दूदली
5. निम्बली पटेलान
6. निम्बली ब्राह्मणान
7. दानासनी
8. रोहट
9. दलपतगढ़

राज्यपाल की आज्ञा से,
नरेश पाल गंगवार,
प्रमुख शासन सचिव ।

5988

Government Central Press, Jaipur.